फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण **अप्रार्थी**

1 श्रीमती लाली पत्नी स्व. श्री गीमाराम बनाम 1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही
जाति घांची निवासी जावाल
तहसील व जिला सिरोही
अन्य – 02

किस्म मुकदमा
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट रा.प्रा.पत्र सं. 86/2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10–09–25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री अशोक पूरोहित व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/1205 दिनांक 10–07–2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार कि मौजा जावाल के चालू जमाबंदी खाता संख्या 473 खसरा संख्या 1138, 1139, 1140 1193, व 1660 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 0.0800, 1.9000, 0.1000, 0.0400 व 2.1800 कुल रकबा 4.3000 हैक्टेयर, जमाबंदी खाता संख्या 497 खसरा संख्या 194, 195, 205, व 206 कुल किता 4 रकबा क्रमशः 5.0500, 3.8400, 0.1400 व 0.3800 कुल रकबा 9.4100 हैक्टेयर जमाबंदी खाता संख्या 485 खसरा संख्या 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, व 1129 कुल किता 07 रकबा क्रमशः 11.0500, 2.8200, 1.6000, 0.0200, 0.1300, 0.5600 व 0.0900 कुल रकबा 16.2700 हैक्टेयर, जमाबंदी खाता संख्या 303 खसरा संख्या 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 1199, 1200, 1201, 1202, व 1203, कुल किता 10 रकबा क्रमश 0.3000, 0.0200, 0.1300 0.0400, 0.6000, 6.1600, 1.6800, 3. 500, 0.0300, व 3.8500 कुल रकबा 16.3100 हेक्टेयर भूमि वादीगण व अन्य की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। वर्णित आराजी में वादीगण (1से 3) का अन्य खातेदारान के साथ खाता संख्या 473 में प्रत्येक का 1/12, 1/12 व 1/12 हि. अर्थात कुल 1/4 हिस्सा, जमाबंदी खाता संख्या 497 में प्रत्येक का 1/24, 1/24 व 1/24 हिस्सा अर्थात कुल 1/8 हिस्सा जमाबंदी खाता संख्या 485 में प्रत्येक का 1/60, 1/60, 1/60 हिस्सा अर्थात कुल 1/20 हिस्सा प जमाबंदी खाता संख्या 303 में प्रत्येक 1/72, 1/72 व 1/72, हिस्सा अर्थात 1/24 हिस्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी खाता संख्या 473 में वादीगण का नाम लाली पत्नि गोपा, जोगाराम पुत्र गोपा व देशाराम पुत्र गोपा. खाता संख्या 497 में लाली पत्नि गेमा, जोगाराम पुत्र गेमा व देशाराम पुत्र गेना खाता संख्या 485 व 303 में लाली पत्नि गोमा, जोगाराम पुत्र गोमा व देवाराम पुत्र गोमा तथा देशाराम पुत्र गोमा दर्ज है। वादीगण द्वारा उनके पति व पिता का सही नाम गीमारान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु वाद दायर किया है. जिसकी मौका जांच दिनांक 04.07.2023 को ग्राम जावाल में मजमे आम की गई। जिसमें लाली के पति का वास्तविक नाम गीमाराम तथा जोगाराम व देसाराम के पिता का भी वास्तविक नाम गीमाराम होना पाया गया। मौके पर वादीगण द्वारा सबूत (साक्ष्य) के तौर पर गीमाराम का मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/22/167/279590 पेश किया। जिसमें उसका नाम गीमाराम पुत्र दानाजी पता 389 घांचियों का वास	

जावाल तहसील सिरोही दर्ज है। एवं वादीगण द्वारा उसके स्वंय मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, एसबीआई शाखा जावाल की बैंक डायरी, पेनकार्ड व परिवार राशन कार्ड साक्ष्य के तौर पर पेश किये। उसमें भी उनके पति व पिता का नाम गीमाराम दर्ज है। जो सही है।
जमाबंदी खाता संख्या 485 में देसाराम का नाम देवाराम दर्ज है, जो गलत है। उसका उपरोक्त दस्तावेजों में देसाराम दर्ज है, जो सही है। उपरोक्त खाते में देवाराम के स्थान पर देसाराम किया जाना उचित है। जमाबंदी खाता संख्या 497, 473, व 303 में देशाराम के स्थान पर देसाराम किया जाना भी उचित है, क्योंकि उसके द्वारा प्रस्तुत परिवार राशन कार्ड में उसका नाम देसाराम दर्ज है।
जमाबंदी खाता संख्या 473, 497, 485 व 303 में लाली पत्नि गीमाराम, जोगाराम पुत्र गीमाराम व देसाराम पुत्र गीमाराम के नाम की साक्ष्यों के आधर पर शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***प्रार्थी के ग्राम जावाल के राजस्व खाता संख्या 473, 497, 485 व 303 खसरा संख्या 1138, 1139, 1140 1193, व 1660, 194, 195, 205, व 206, 1123, 1129, 1194 में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम सही गीमाराम व प्रार्थीगण देशाराम के स्थान पर देसाराम संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)